भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1912

दिनांक 29 नवम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

मानव दुव्यार्पार इकाइयां

1912. डॉ. भारतीबेन डी॰ श्यालः
श्री शंकर लालवानीः
श्री राजू बिष्टः
श्री सुनील कुमार सिंहः
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरेः
सुश्री प्रतिमा भौमिकः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देशभर में मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयां (एएचटीयू) और महिला हेल्प डेस्क (डब्ल्यूएचडी) की स्थापना करने की घोषणा की है और यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने एएचटीयू और डब्ल्यूएचडी को सशक्त बनाने के लिए कोई धनराशि आवंटित की है और यदि हां, तो राज्य-वार आवंटन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो क्या सरकार एएचटीयू और डब्ल्यूएचडी को सशक्त बनाने के लिए निर्भया कोष का उपयोग करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वित्त पोषण पद्धति का ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत पांच वर्षों में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और उत्तर दिनाजपुर जिलों से मानव (महिला और बच्चों) दुर्व्यापार की कितनी घटनाएं सामने आई हैं;

(ङ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र से मानव (महिलाओं और बच्चों) के दुर्व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(च) इस क्षेत्र में मानव के दुर्व्यापार से निपटने के लिए वित्तीय आवंटन और सहायता के अन्य रूपों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (घ) : सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिला मानव अवैध व्यापार विरोधी यूनिटों (एएचटीयू) और पुलिस स्टेशनों की महिला हेल्प डेस्कों को सुदृढ़ बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। निर्भया कोष पर मंत्रालय की अधिकारियों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) ने 100 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं का मूल्यांकन और सिफारिश की है।

राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो (एनसीआरबी) के वर्ष 2017 तक के जारी आंकड़ों के अनुसार दार्जीलिंग, कलिमपोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और उत्तर दिनाजपुर सहित पिछले पांच वर्षों में पश्चिम बंगाल में मानव तस्करी की घटनाएं निम्नानुसार है:

वर्ष	2013	2014	2015	2016	2017
मामलों की संख्या		1096	1255	3579	357

वर्ष 2013 की एनसीआरबी की रिपोर्ट में, हालांकि राज्य वार आंकड़ा उपलब्ध नहीं है फिर भी पूरे देश में इस वर्ष मानव अवैध व्यापार के 3940 मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही वर्ष 2014 से 2017 के दौरान एनसीआरबी की रिपोर्ट में जिला वार आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

(ड.) से (च) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' राज्य का विषय है और महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध ऐसे मानव अवैध व्यापार के अपराधों को रोकना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हालांकि, भारत सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों मानव अवैध व्यापार विरोधी यूनिटों की स्थापना, मानव अवैध व्यापार को रोकने में प्रासंगिक तस्करी कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के प्रति राज्य में 'न्यायिक संवाद' और पुलिस अधिकारियों तथा अभियोजकों को संवेदीकृत करने हेतु सम्मेलनों के आयोजन के लिए राज्य और न्यायिक अकादमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मानव अवैध व्यापार की रोकथाम और इसका मुकाबला करने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) समय-समय पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शिका जारी करता है। ये परामर्शिकाएं गृह मंत्रालय (एमएचए) की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं। हालांकि राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2019, एनआईए अधिनियम, 2008 की अनुसूची में संशोधन किया गया है और राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) को मानव अवैध व्यापार से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 370 और 370 क के अंतर्गत किए गए अपराधों की जांच करने अधिकार दिया गया है।

****